703899030
619

कार्यालय महालेखाकार (ले0 व हक0)द्वितीय
20 सरोजनी नायडू मार्ग उ0प्र0 इलाहाबाद
Phones: Off. 2622625-26 Fax; 0532-2624402

सत्यमेव जयते

पत्रांकः–पेंशन विविध/LID-7245,4985,16349
SSA-DR Dy-115 /705

दिनांक 06-09-2017

सेवा में,

AG(A&E) Andhra Pradesh, Saifabad, Hyderabad. 500004

विषयः– 1. उ0प्र0 शासन संख्या 301/90–1–2017–53 सं–2002 दिनांक 15.06.2017
2. वित्त (आयोग) अनुभाग–2 शासनादेश संख्या वे0आ0–2–401/2017/ दस–2017 दिनांक 31.05.2017.
3. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1 शासनादेश संख्या 3/2017 वे0आ0–1–465/ दस–2017–8(एम) /2016 दिनांक 13.07.2017.

महोदय,

उत्तर प्रदेश वित्त विभाग द्वारा जारी उपरोक्त आदेशों की प्रतियाँ संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं ।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत समस्त कोषाधिकारियों /पेंशन भुगतान अधिकारियों को प्रसारित कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें तथा एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने की कृपा करें /

संलग्नः– यथोपरि

प्रधान महालेखाकार (ले एवं ह) का कार्यालय
O/o. the Prl. Accountant General (A&E)
INWARD
15 SEP 2017
No.
आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना
Andhra Pradesh & Telangana
हैदराबाद/Hyderabad - 500 004.

भवदीय

लेखाधिकारी/पेंशन विविध

OGP

O/o Prl. Accountant General (A&E)
AP & Telangana, Hyderabad
18-SEP-17
486679
486679

VII CPC Amendment

(3)

48669 B

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

संख्या- 62/2016/वे0आ0-2-2643/दस-04(एम)/2016

लखनऊः दिनांकः 16 दिसम्बर, 2016

संकल्प

पढ़ा गया: वेतन समिति, (2016) का प्रथम प्रतिवेदन भाग-1 से 4 तथा उसकी संस्तुतियाँ ।

पर्यालोचनार्थ-शासन द्वारा वेतन समिति के प्रथम प्रतिवेदन भाग-1 से 4 में राजकीय कर्मचारियों, राजकीय शिक्षकों, सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा राज्य के पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों को विचारोपरान्त निम्न के अधीन रहते हुए स्वीकार कर लिया गया है:-

(1) पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के सम्बन्ध में वेतन समिति की संस्तुतियाँ स्वीकार की गयीं।

(2) पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण, वेतन समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों के अनुसार किया जायेगा।

(3) मँहगाई भत्ते के सम्बन्ध में वेतन समिति द्वारा की गयी संस्तुति स्वीकार की गयी। इस क्रम में दिनांक 01 जनवरी 2016 को पूर्व वेतनमानों में देय मँहगाई भत्ते को मूल वेतन में सम्मिलित हो जाने के फलस्वरूप दिनांक 01 जनवरी 2016 से 30 जून 2016 तक कोई मँहगाई भत्ता देय नहीं होगा तथा दिनांक 01 जुलाई 2016 से दो प्रतिशत की दर से मँहगाई भत्ता दिया जाना स्वीकार किया गया।

(4) पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में 03 प्रतिशत की एक समान वार्षिक वेतनवृद्धि की दर तथा सभी के लिये समान रूप से वेतनवृद्धि की 01 जुलाई की विद्यमान तिथि के स्थान पर सम्बन्धित कार्मिक को उसकी नियुक्ति/प्रोन्नति/वित्तीय स्तरोन्नयन के संदर्भ में 01 जनवरी अथवा 01 जुलाई को वेतनवृद्धि दिये जाने की वेतन समिति की संस्तुति को स्वीकार किया गया।

(5) राजकीय कर्मचारियों तथा सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिये लागू रही ए0सी0पी0 की व्यवस्था पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में इस संशोधन के साथ स्वीकार कर लिया गया कि "संतोषजनक सेवा" के मापदण्ड के स्थान पर "बहुत अच्छा" निर्धारित किया जाय। इसके अतिरिक्त राज्य के विभिन्न संवर्गों के उच्च पदों पर पदोन्नति हेतु वर्तमान में प्रभावी "संतोषजनक सेवाओं" के मापदण्ड को बढ़ाकर "बहुत अच्छा" निर्धारित किया जाय एवं तदनुसार सेवा नियमावलियों में संशोधन किया जाय।

(6) राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों (यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0, आई0सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) के लिये लागू रही चयन वेतनमान/प्रोन्नति वेतनमान की व्यवस्था को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में पूर्ववत् बनाये रखने की वेतन समिति की संस्तुति को स्वीकार किया गया।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(7) ऐसे राज्य कर्मचारी एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारी, जो प्रथम 16 वर्ष की सेवा पूर्ण करने तक ए0सी0पी0 अथवा नियमित पदोन्नति के निर्धारित मापदण्ड को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें आगे वार्षिक वेतनवृद्धियाँ स्वीकृत न किये जाने विषयक वेतन समिति की संस्तुति को स्वीकार किया गया।

(8) राज्य के उपर्युक्त श्रेणी के कर्मचारियों को अनुमन्य हो रहे विभिन्न प्रकार के भत्ते एवं सुविधाओं (मँहगाई भत्ते को छोड़कर) को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में पूर्व दरों पर बनाये रखने की वेतन समिति की संस्तुति को स्वीकार कर लिया गया।

(9) शिक्षा विभाग के शिक्षकों हेतु निर्धारित नियत वेतन रू0 7300 के स्थान पर दिनांक 01 जनवरी 2016 से रू0 18770/- नियत वेतन निर्धारित किये जाने की वेतन समिति की संस्तुति को स्वीकार किया गया।

(10) राज्य के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को पेंशन, ग्रेच्युटी, पेंशन राशिकरण, पारिवारिक पेंशन, मँहगाई राहत तथा अन्य सुविधायें यथा-अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन, Exgratia Lumpsum Compensation तथा स्थायी सेवक भत्ता आदि, जो केन्द्र के समान देय हैं, को दिनांक 01 जनवरी 2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में केन्द्र सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के समान दिये जाने की वेतन समिति की संस्तुति को स्वीकार किया गया।

(11) ऐसे सेवानिवृत्त कार्मिक जिन्हें न्यायालय अथवा आयोग अथवा किसी जॉच समिति आदि में सेवाकाल में किये गये कार्यों के आधार पर साक्ष्य हेतु बुलाया जाता है, को यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता उनके द्वारा धारित अंतिम पद एवं वेतनमान हेतु अनुमन्य दरों पर प्रदान किये जाने विषयक वेतन समिति की संस्तुति को स्वीकार किया गया।

(12) सेवानिवृत्ति के समय निर्गत होने वाले पी0पी0ओ0 में अंतिम आहरित वेतन, वेतनमान/वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन/पे लेवल का उल्लेख किये जाने तथा पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में उसकी पेंशन अन्तिम आहरित वेतनमान /वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन/वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम के 50 प्रतिशत से कम निर्धारित होने पर पेंशनर का आवेदन प्राप्त किये बिना उसकी न्यूनतम पेंशन कोषागार द्वारा निर्धारित किये जाने विषयक वेतन समिति की संस्तुति को स्वीकार किया गया।

(13) सेवानिवृत्त कर्मियों के पेंशन पुनरीक्षण का आदेश कोषागार द्वारा निर्गत करने एवं आदेश की प्रति सम्बन्धित पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को उपलब्ध कराने तथा उक्त आदेश में पुनरीक्षित पेंशन तथा राशिकरण को घटाते हुए अनुमन्य पेंशन के साथ-साथ अधिक आयु पर मिलने वाली अतिरिक्त पेंशन का भी उल्लेख किये जाने विषयक वेतन समिति की संस्तुति को स्वीकार किया गया।

(14) जीवित प्रमाण-पत्र हेतु भारत सरकार के समान व्यवस्था किये जाने विषयक वेतन समिति की संस्तुति को स्वीकार किया गया।

(15) जिलाधिकारी स्तर पर होने वाली मासिक बैठक के एजेन्डा में पेंशनर्स का प्रकरण सम्मिलित किये जाने विषयक वेतन समिति की संस्तुति को स्वीकार किया गया।

http://shasanadesh.up.nic.in

(16) राजकोष से पेंशन पाने वाले पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लिए वित्त विभाग के स्तर से निर्गत शासनादेश के अनुसार ही न्यूनतम पेंशन का निर्धारण कोषागार द्वारा किये जाने की व्यवस्था विषयक वेतन समिति की संस्तुति को स्वीकार किया गया।

(17) राजकीय कर्मचारियों, राजकीय शिक्षकों तथा सहायता प्राप्त शिक्षण/ प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन तथा मँहगाई भत्ता दिनांक 01 जनवरी 2017 (भुगतान दिनांक 01 फरवरी, 2017 को देय) से नकद भुगतान किया जाना तथा दिनांक 01 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 तक के देय अवशेष का भुगतान 02 समान किश्तों में निम्नानुसार किया जाना स्वीकार किया गया है:-

(i) अवशेष के 50 प्रतिशत भाग का भुगतान वित्तीय वर्ष 2017-18 में तथा 50 प्रतिशत भाग का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018-19 में किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 में अवशेष का आहरण सम्बन्धित वर्ष के माह अक्टूबर के पूर्व नहीं किया जायेगा।

(ii) वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में उपरोक्तानुसार देय अवशेष का 80 प्रतिशत भाग सम्बन्धित कार्मिक के भविष्य निर्वाह निधि खाते में जमा किया जायेगा और अवशेष 20 प्रतिशत भाग में से देय आयकर की धनराशि को काटकर शेष नकद भुगतान किया जायेगा। ऐसे कार्मिक जिनके देय आयकर की धनराशि 20 प्रतिशत से अधिक होती है, के मामलों में 20 प्रतिशत नकद भुगतान की जाने वाली धनराशि को देय आयकर की सीमा तक आयकर भुगतान हेतु बढ़ा दिया जायेगा तथा अवशेष धनराशि भविष्य निर्वाह निधि खाते में जमा की जायेगी।

(iii) ऐसे कर्मचारी जिनका भविष्य निर्वाह निधि खाता न खुला हो, को देय अवशेष उनके विकल्प के आधार पर एन0एस0सी0 के रूप में अथवा उनके लोक भविष्य निधि (पी0पी0एफ0) खाते में जमा कर दिया जायेगा। उक्तानुसार भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि, जमा होने की तिथि से 01 वर्ष तक सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी के भविष्य निधि खाते में जमा रहेगी और उसे उन मामलों को छोड़कर, जिनमें भविष्य निधि नियमों के अन्तर्गत अन्तिम प्रत्याहरण (Final Withdrawal) देय हो, 01 वर्ष से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा।

(iv) पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को उपर्युक्त उप प्रस्तर-(i) के अनुसार वित्तीय वर्षों 2017-18 व 2018-19 में देय अवशेष का भुगतान नकद किया जायेगा। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को देय अवशेष का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जाय।

(v) नई पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों को तदनुसार देय अवशेष धनराशि के 10 प्रतिशत के बराबर धनराशि सम्बन्धित कार्मिकों के टियर-1 पेंशन खाते में जमा की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

जायेगी तथा राज्य सरकार/नियोक्ता द्वारा समतुल्य अंशदान टियर-1 पेंशन खाते में जमा किया जायेगा। अवशेष की शेष 90 प्रतिशत धनराशि सम्बन्धित कार्मिकों को उनके विकल्प के आधार पर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी0) के रूप में अथवा उनके लोक भविष्य निधि (पी0पी0एफ0) खाते में जमा कर दी जायेगी।

(vi) किसी पेंशनर/पारिवरिक पेंशनर को देय अवशेष भुगतान प्राप्त किये जाने के पूर्व मृत्यु हो जाने की दशा में उनके अवशेष के शेष देय भुगतान (अनुवर्ती वर्षों में देय भुगतान सहित) की धनराशि का एकमुश्त नकद भुगतान, ऐसे पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर द्वारा अधिकृत व्यक्ति को अथवा नियमानुसार विधिक उत्तराधिकारी को, कर दिया जायेगा।

(18) वेतन समिति के प्रथम प्रतिवेदन भाग-2 के प्रस्तर-8(8) में ऐसे सेवा निवृत्त व्यक्तियों, जो स्वेच्छा से बिना पारिश्रमिक के सेवायें प्रदान करने हेतु तत्पर हों, कीं सेवाओं का सदुपयोग राष्ट्र निर्माण के कार्यो हेतु करने, उनका डेटा बेस एवं बेवसाइट बनाये जाने एवं इसका व्यापक प्रचार एवं प्रसार किये जाने हेतु नियोजन विभाग को नोडल विभाग बनाये जाने विषयक समिति के मत को स्वीकार किया गया।

(19) वेतन समिति द्वारा संस्तुत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स का लाभ राज्य कर्मचारियों, राजकीय शिक्षकों, सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों /शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को उनके द्वारा दिनांक 01 जनवरी 2016/विकल्प की तिथि को प्राप्त हो रहे वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान के आधार पर दिया जायेगा, परन्तु इस संकल्प द्वारा स्वीकृत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स निम्न पर लागू नहीं होगी:-

(i) राज्य के न्यायिक सेवा तथा उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी।

(ii) स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय /विश्वविद्यालय, विभिन्न इंजीनियरिंग कालेजों तथा कृषि विश्वविद्यालय के शिक्षक।

(iii) कार्य प्रभारित कर्मचारी।

(iv) स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारी/अधिकारी।

(v) सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के कर्मचारी/अधिकारी।

(vi) स्थानीय निकाय/जिला पंचायत/विकास प्राधिकरण एवं जल संस्थानों के कर्मचारी/अधिकारी।

(vii) जूनियर डाक्टर्स।

(20) पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स की स्वीकृति के सामान्य आदेश, वेतन निर्धारण एवं मँहगाई भत्ते के सम्बन्ध में आदेश वित्त विभाग द्वारा जारी किये जायेंगे। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(21) इस संकल्प के जारी होने के दिनांक से राजकीय सेवाओं में तथा सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं में पदों पर भर्ती एवं पदों का सृजन पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में ही किया जायेगा।

(22) उपर्युक्त निर्णयों को लागू करने के फलस्वरूप यदि कोई असंगति उत्पन्न होती है तो उसका निराकरण सामान्य विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से किया जायेगा।

(23) जहाँ कहीं किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो वित्त विभाग से परामर्श प्राप्त किया जा सकता है।

(24) वेतन समिति के अध्यक्ष, सदस्यों तथा समिति के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने जिस परिश्रम, अध्यवसाय व निष्ठा से अपना गुरूतर दायित्व निवर्हन करते हुए प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, शासन उसकी सराहना करता है।

<u>आदेश</u>

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प जन साधारण की सूचना के लिये उत्तर प्रदेश गजट में प्रकाशित किया जाय। संकल्प तथा वेतन समिति का प्रथम प्रतिवेदन वित्त विभाग की वेबसाइट पर रखा जाय और सम्बन्धित विभागों को भी भेजा जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि वेतन समिति के प्रथम प्रतिवेदन तथा संकल्प की प्रतियाँ, राजकीय सेवा संघों और जनता के लिये बिक्री हेतु उपलब्ध रखी जायें।

आज्ञा से,
अनूप चन्द्र पाण्डेय
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-62/2016/वे0आ0-2-2643(1)/दस-04(एम)/2016, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रतिवेदन की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4. उत्तर प्रदेश शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव।
5. महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
6. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
7. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, उत्तर प्रदेश।
8. सचिवालय के अधिष्ठान से सम्बन्धित समस्त अनुभाग।
9. इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
मनोज कुमार जोशी
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

VII CPC

संख्या-66/2016/वे0आ0-2-1443/दस-04(एम)/2016

प्रेषक,

श्री अजय अग्रवाल,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/ बेसिक शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(2) प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि/समाज कल्याण/विकलॉग कल्याण/ अल्प संख्यक कल्याण/गृह एवं कारागार विभाग/ सिंचाई विभाग/ पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(3) निदेशक, उच्च शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/कृषि/समाज कल्याण/विकलॉग कल्याण/अल्प संख्यक कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश।

(4) महानिदेशक, कारागार विभाग, उत्तर प्रदेश।

(5) प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांकः 20 दिसम्बर, 2016**

विषयः- वेतन समिति उत्तर प्रदेश (2016) के प्रथम प्रतिवेदन भाग-3 में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों (यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0 तथा आई0सी0ए0आर0 के वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी 2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के लिये वेतन समिति का गठन संकल्प संख्या-38/2016-वे0आ0-2-876/दस-01(एम)/2016

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

दिनांक 11 अगस्त 2016 द्वारा किया गया। उक्त समिति द्वारा अपना प्रथम प्रतिवेदन शासन को दिनांक 07 दिसम्बर 2016 को प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रतिवेदन के भाग-3 की संस्तुतियों को सम्यक् विचारोपरान्त संकल्प संख्या-62/2016/ वे0आ0-2-2643/दस-04(एम)/2016 दिनांक 16 सितम्बर, 2016 द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

2. उपर्युक्त संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों (यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0 तथा आई0सी0ए0आर0 के वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी 2016 अथवा सम्बन्धित के विकल्प की तिथि से संलग्न तालिका के अनुसार पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उपर्युक्त विकल्प, दिनांक 01 जनवरी, 2016 के पश्चात पडने वाली वेतन वृद्धि एवं इस शासनादेश की निर्गत होने की तिथि तक प्राप्त पदोन्नति की तिथि तथा वित्तीय स्तरोन्नयन होने की तिथि से भी दिया जा सकेगा।

3. शिक्षा विभाग में नियत वेतन रू0 7300 के शिक्षकों के लिये दिनांक 01 जनवरी 2016 से रू0 18770/- नियत वेतन निर्धारित किया जायेगा।

4. इस शासनादेश के साथ संलग्न तालिका के अनुसार पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में पुनरीक्षित वेतन का लाभ ऐसे शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी वैयक्तिक रूप से अनुमन्य होगा, जो समयमान वेतनमान की व्यवस्था में चयन वेतनमान/प्रोन्नति वेतनमान/ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित सेवा अवधि/शर्तों की पूर्ति पर वैयक्तिक रूप से उच्च ग्रेड वेतन दिनांक 01 जनवरी 2016 अथवा किसी अनुवर्ती तिथि, जिससे पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स को सम्बन्धित द्वारा चुने जाने का विकल्प दिया गया हो, को प्राप्त कर रहे थे।

5. पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण, संशोधित दरों पर मॅहगाई भत्ते की अनुमन्यता सम्बन्धी आदेश अलग से जारी किये जायेंगे।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

6. राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों (यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0 तथा आई0सी0ए0आर0 के वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को अनुमन्य हो रहे अन्य भत्ते, विशेष वेतन/ वैयक्तिक वेतन एवं सुविधायें (मॅहगाई भत्ते को छोड़कर) वर्तमान में किसी ग्रेड वेतन के लिये जिस दर पर अनुमन्य हैं, उस ग्रेड वेतन के लिये अनुमन्य पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में भी उसी दर पर यथावत देय रहेगी।

7. ऐसे शैक्षिक पद, जिन पर चयन वेतनमान/प्रोन्नत वेतनमान की व्यवस्था लागू है, के लिये पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में उक्त व्यवस्था यथावत लागू रहेगी।

8. सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिये वर्तमान में लागू ए0सी0पी0 की व्यवस्था पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में इस संशोधन के साथ देय रहेगी कि इसकी अनुमन्यता हेतु वर्तमान में प्रभावी "सन्तोषजनक सेवाओं" के मापदण्ड के स्थान पर संशोधित मापदण्ड "बहुत अच्छा" (Very Good) इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से निर्धारित माना जायेगा, शेष शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

9. ऐसे पद/संवर्ग, जिनके वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान का उच्चीकरण/ संशोधन दिनांक 01 जनवरी 2016 के बाद और इस शासनादेश निर्गत होने की तिथि तक हुआ है, के पदधारकों को यह विकल्प होगा कि वे या तो दिनांक 01 जनवरी 2016 को अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान के आधार पर पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में पुनरीक्षित वेतन का चयन करें अथवा उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान के दिनांक से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन लेने का चयन कर लें।

10. इस शासनादेश द्वारा की जा रही व्यवस्था यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0 तथा आई0सी0ए0आर0 के वेतनमानों से आच्छादित पदों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों, स्थानीय निकायों (जिला पंचायत, जल संस्थान एवं विकास प्राधिकरण सहित), स्वशासी संस्थाओं तथा सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के कर्मचारियों/अधिकारियों पर लागू नहीं होगी, उनके लिए अलग से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

11. इस शासनादेश द्वारा राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों (यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0 तथा आई0सी0ए0आर0 के वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, राज्य विश्वविद्यालयों एवं कृषि विश्वविद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान उपरोक्त प्रस्तरों के अधीन संलग्न तालिका के अनुसार पुनरीक्षित माने जायेंगे और इनके लिये शासन के विभिन्न विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

अजय अग्रवाल

सचिव

संख्या-66/2016/वे0आ0-2-1443(1)/दस-04(एम)/2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश।
6. वित्त अधिकारी/कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय/ प्राविधिक विश्वविद्यालय उ0प्र0।
7. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक/समस्त मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षकायें, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12. निरीक्षक संस्कृत पाठशालायें, अरबी-फारसी मदरसा, उ0प्र0 इलाहाबाद।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या-66/2016/वे0आ-2-1443/दस-04(एम)/2016 दिनांक 20 दिसम्बर 2016, का संलग्नक।

वेतन बैण्ड	वेतन बैण्ड-1 रू0 5200-20200					वेतन बैण्ड-2 रू0 9300-34800				वेतन बैण्ड-3 रू0 15600-39100		
ग्रेड वेतन	1800	1900	2000	2400	2800	4200	4600	4800	5400	5400	6600	7600
लेवल	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	18000	19900	21700	25500	29200	35400	44900	47600	53100	56100	67700	78800
2	18500	20500	22400	26300	30100	36500	46200	49000	54700	57800	69700	81200
3	19100	21100	23100	27100	31000	37600	47600	50500	56300	59500	71800	83600
4	19700	21700	23800	27900	31900	38700	49000	52000	58000	61300	74000	86100
5	20300	22400	24500	28700	32900	39900	50500	53600	59700	63100	76200	88700
6	20900	23100	25200	29600	33900	41100	52000	55200	61500	65000	78500	91400
7	21500	23800	26000	30500	34900	42300	53600	56900	63300	67000	80900	94100
8	22100	24500	26800	31400	35900	43600	55200	58600	65200	69000	83300	96900
9	22800	25200	27600	32300	37000	44900	56900	60400	67200	71100	85800	99800
10	23500	26000	28400	33300	38100	46200	58600	62200	69200	73200	88400	102800
11	24200	26800	29300	34300	39200	47600	60400	64100	71300	75400	91100	105900
12	24900	27600	30200	35300	40400	49000	62200	66000	73400	77700	93800	109100
13	25600	28400	31100	36400	41600	50500	64100	68000	75600	80000	96600	112400
14	26400	29300	32000	37500	42800	52000	66000	70000	77900	82400	99500	115800
15	27200	30200	33000	38600	44100	53600	68000	72100	80200	84900	102500	119300
16	28000	31100	34000	39800	45400	55200	70000	74300	82600	87400	105600	122900
17	28800	32000	35000	41000	46800	56900	72100	76500	85100	90000	108800	126600
18	29700	33000	36100	42200	48200	58600	74300	78800	87700	92700	112100	130400
19	30600	34000	37200	43500	49600	60400	76500	81200	90300	95500	115500	134300
20	31500	35000	38300	44800	51100	62200	78800	83600	93000	98400	119000	138300
21	32400	36100	39400	46100	52600	64100	81200	86100	95800	101400	122600	142400
22	33400	37200	40600	47500	54200	66000	83600	88700	98700	104400	126300	146700
23	34400	38300	41800	48900	55800	68000	86100	91400	101700	107500	130100	151100
24	35400	39400	43100	50400	57500	70000	88700	94100	104800	110700	134000	155600
25	36500	40600	44400	51900	59200	72100	91400	96900	107900	114000	138000	160300
26	37600	41800	45700	53500	61000	74300	94100	99800	111100	117400	142100	165100
27	38700	43100	47100	55100	62800	76500	96900	102800	114400	120900	146400	170100
28	39900	44400	48500	56800	64700	78800	99800	105900	117800	124500	150800	175200
29	41100	45700	50000	58500	66600	81200	102800	109100	121300	128200	155300	180500
30	42300	47100	51500	60300	68600	83600	105900	112400	124900	132000	160000	185900
31	43600	48500	53000	62100	70700	86100	109100	115800	128600	136000	164800	191500
32	44900	50000	54600	64000	72800	88700	112400	119300	132500	140100	169700	197200
33	46200	51500	56200	65900	75000	91400	115800	122900	136500	144300	174800	203100
34	47600	53000	57900	67900	77300	94100	119300	126600	140600	148600	180000	209200
35	49000	54600	59600	69900	79600	96900	122900	130400	144800	153100	185400	-
36	50500	56200	61400	72000	82000	99800	126600	134300	149100	157700	191000	-
37	52000	57900	63200	74200	84500	102800	130400	138300	153600	162400	196700	
38	53600	59600	65100	76400	87000	105900	134300	142400	158200	167300	202600	-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-3 /2017-वे0आ0-1-465/दस-2017-8(एम)/2016

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
(2) वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश
(3) शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा/शिक्षा निदेशक (बेसिक/माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ।
(4) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
(5) निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, 8वॉ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
(6) समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश।
(7) निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 13 जुलाई, 2017

विषय- राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का दिनांक 01-01-2017 से बढी हुई दर पर भुगतान।

पठित निम्नलिखित

(1) शासनादेश संख्या-9/2016-वे0आ0-1-1070/दस-2016-08(एम)/2016, दिनांक 23 दिसम्बर, 2016
(2) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन-संख्या-1/3/2017-ई-।।(बी), दिनांक 30 मार्च, 2017

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को उपर्युक्त क्रम संख्या-2 पर उल्लिखित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय,

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन-संख्या-1/3/2017-ई-II(बी), दिनांक 30 मार्च, 2017 द्वारा दिनांक 01-01-2017 से निम्नानुसार संशोधित **दरों पर महंगाई भत्ते की स्वीकृति** के आदेश जारी किये गये है :-

तिथि जब से देय है	महंगाई भत्ते की मासिक दर
01-01-2017	04 प्रतिशत

2- उपर्युक्त क्रमांक संख्या-1 पर उल्लिखित शासनादेश दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 के क्रम में राज्यपाल महोदय प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यू0जी0सी0 वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को दिनांक 01-01-2017 से निम्नानुसार संशोधित दरों पर महंगाई भत्ते के भुगतान की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते है :-

तिथि जब से देय है	महंगाई भत्ते की मासिक दर
01-01-2017	04 प्रतिशत

3- इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के संबंध में शासनादेश संख्या-वे0आ0-1-1599/दस-42(एम)/97, दिनांक 23 नवम्बर, 1998 के प्रस्तर-5 में उल्लिखित प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।

4- इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के आगणन हेतु 'मूल वेतन' का तात्पर्य दिनांक 01-01-2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित लेबल में आहरित वेतन से है, किन्तु नियत वेतनमान में अनुमन्य वेतन ही मूल वेतन माना जायेगा। परन्तु उक्त के अतिरिक्त अन्य प्रकार के वेतन जैसे विशेष वेतन, सीमान्त विशेष वेतन/भत्ता, वैयक्तिक वेतन, प्रतिनियुक्ति भत्ता/वेतन तथा अन्य भत्ते आदि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

भले ही वे मूल नियम के अंतर्गत वेतन की परिभाषा में आते हों, को मूल वेतन के साथ सम्मिलित नहीं किया जायेगा। परन्तु प्रैक्टिस बन्दी भत्ता को 'वेतन' का अंश माना जायेगा अर्थात प्रैक्टिस बन्दी भत्ता को महंगाई भत्ता के आगणन हेतु सम्मिलित किया जायेगा।

5- महंगाई भत्ते को एक तरह का विशिष्ट घटक ही माना जायेगा तथा वित्तीय नियम 9(21) के अंतर्गत वेतन नहीं माना जायेगा।

6- इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ता उन कर्मचारियों/शिक्षकों को भी, जो प्रभावी तिथि को सेवारत थे किन्तु इस शासनादेश के जारी होने के पूर्व जिनकी सेवायें चाहे जिन कारणों से यथा अनुशासनिक कारणों से या त्याग-पत्र, सेवा-निवृत्त, मृत्यु या सेवा-मुक्त करने या स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण समाप्त हो गयी हो, सेवा-समाप्ति, सेवा-निवृत्ति आदि की तिथि तक अनुमन्य होगा।

7- इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की देय धनराशि को निकटतम एक रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात 50 पैसे और उससे अधिक को उच्चतर रूपये पर पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम की राशि को छोड दिया जायेगा।

8- इन आदेशों द्वारा स्वीकृत दरों पर मंहगाई भत्ते की दिनांक 01 जनवरी, 2017 से दिनांक 31 जुलाई, 2017 तक की देय अवशेष धनराशि अधिकारी/कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में, अवशेष धनराशि पर देय आयकर एवं सरचार्ज की कटौती की सुविधा के अधीन जमा की जायेगी और इस प्रकार जमा धनराशि को भविष्य निधि खाते में दिनांक 01 अगस्त, 2017 से जमा माना जायेगा और इस तिथि से उक्त धनराशि पर ब्याज भविष्य निधि पर लागू दर से देय होगा इस प्रकार भविष्य निधि खाते में जमा की गई अवशेष धनराशि दिनांक 31 जनवरी, 2018 तक संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी और इसे उन मामलों को छोडकर जिनमें भविष्य निधि नियमों के अंतर्गत अन्तिम प्रत्याहरण (Final Withdrawal) देय हो जाय, उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा। इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की बढी हुई धनराशि का भुगतान दिनांक 01 अगस्त, 2017 (माह अगस्त, 2017 का भुगतान दिनांक 01 सितम्बर, 2017 को देय) से नकद किया जायेगा। ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनका भविष्य निधि खाता न खुला हो, उनको देय अवशेष की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

धनराशि को उनके पी0पी0एफ0 खाते में जमा किया जायेगा अथवा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी0) के रूप में दिया जायेगा परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो वह उसे नकद दी जायेगी।

9- राष्ट्रीय पेंशन योजना (N.P.S) से आच्छादित कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते के एरियर की राशि के दस प्रतिशत के बराबर राशि कर्मचारियों के टियर-1 पेंशन खाते में जमा की जायेगी तथा राज्य सरकार/नियोक्ता द्वारा समतुल्य अंशदान टियर-1 पेंशन खाते में जमा किया जायेगा। एरियर की शेष 90 प्रतिशत राशि संबंधित कर्मचारियों को नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी0) के रूप में दी जायेगी अथवा उनके पी0पी0एफ0 में जमा किया जायेगा।

10- महंगाई भत्ते की सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जाने वाली अवशेष धनराशि से संबंधित बिल/शेड्यूल/चालान पर शासनादेश संख्या-सा-4-12/दस-97-500(1)/97, दिनांक 07-10-1997 में निहित आदेशानुसार निर्धारित मोहर लगायी जानी चाहिए।

11- जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त हो गई हो अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर दिनांक 01 जनवरी, 2017 से शासनादेश निर्गत होने की तिथि तक सेवानिवृत्त हो गये हों अथवा 06 माह के अन्दर सेवानिवृत्त होने वाले हो, उनको देय महंगाई भत्ते के बकाये की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

भवदीय,
अजय अग्रवाल
सचिव।

संख्या-3/2017-वे0आ0-1-465(1)/दस-2017, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-1 एवं 2 तथा (आडिट)-1 एवं 2, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(2) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-4/2017/वे0आ0-1-466/दस-2017-8(एम)/2016

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
(2) वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविघालय, उत्तर प्रदेश।
(3) शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा/शिक्षा निदेशक (बेसिक/माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ।
(4) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश कानपुर।
(5) निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, 8वॉ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
(6) समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश।
(7) निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 **लखनऊ: दिनांक: 13 जुलाई, 2017**

विषय- राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के ऐसे कर्मचारियों, जिनके द्वारा वेतन समिति, उ0प्र0 (2016) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स का चयन नही किया गया है अथवा जिनके वेतनमान दिनांक 01-01-2016 से पुनरीक्षित नही हुए है, को महंगाई भत्ते का दिनांक 01-01-2017 से बढी हुई दर पर भुगतान।

पठित निम्नलिखित

(1) शासनादेश सं-10/2016-वे0आ0-1-1070(2)/दस-2016-08(एम)/2016, दिनांक 23 दिसम्बर, 2016
(2) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन-संख्या-1(3)/2008-ई-।।(बी), दिनांक 07 अप्रैल, 2017

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-10/2016-वे0आ0-1-1070(2)/दस-2016-08(एम)/2016, दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 के क्रम में राज्यपाल महोदय प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

-शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों तथा यू0जी0सी0 वेतनमानों में कार्यरत ऐसे पदधारकों, जिनके द्वारा वेतन समिति उ0प्र0 (2016) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स का चयन नहीं किया गया है अथवा जिन पर पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लागू नही है अथवा जिनके वेतनमान दिनांक 01-01-2016 से पुनरीक्षित नही हुए है को संशोधित दर पर महंगाई भत्ते का दिनांक 01 जनवरी, 2017 से निम्नानुसार भुगतान की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है -

तिथि जब से देय है	महंगाई भत्ते की मासिक दर
01-01-2017	मूल वेतन का 136 प्रतिशत

2- इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के संबंध में शासनादेश संख्या-वे0आ0-1-1599/दस-42(एम)/97, दिनांक 23 नवम्बर, 1998 के प्रस्तर-5 में उल्लिखित प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।

इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के आगणन हेतु 'मूल वेतन' का तात्पर्य दिनांक 01-01-2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में कर्मचारियों को अनुमन्य वेतन बैण्ड में वेतन तथा अनुमन्य 'ग्रेड वेतन' के योग से होगा, किन्तु नियत वेतनमान में अनुमन्य वेतन ही मूल वेतन माना जायेगा। परन्तु उक्त के अतिरिक्त अन्य प्रकार के वेतन जैसे विशेष वेतन, सीमान्त विशेष वेतन/भत्ता, वैयक्तिक वेतन, प्रतिनियुक्ति भत्ता/वेतन तथा अन्य भत्ते आदि भले ही वे मूल नियम के अंतर्गत वेतन की परिभाषा में आते हों, को मूल वेतन के साथ सम्मिलित नही किया जायेगा। परन्तु प्रैक्टिस बन्दी भत्ता को 'वेतन' का अंश माना जायेगा अर्थात प्रैक्टिस बन्दी भत्ता को महंगाई भत्ता के आगणन हेतु सम्मिलित किया जायेगा।

महंगाई भत्ते को एक तरह का विशिष्ट घटक ही माना जायेगा तथा वित्तीय नियम-9(21) के अंतर्गत वेतन नही माना जायेगा।

इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ता उन कर्मचारियों/शिक्षकों को भी, जो प्रभावी तिथि को सेवारत थे किन्तु इस शासनादेश के जारी होने के पूर्व जिनकी सेवायें चाहे जिन कारणों से यथा अनुशासनिक कारणों से या त्याग-पत्र, सेवा-निवृत्त, मृत्यु या सेवा-मुक्त करने या स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण समाप्त हो गयी हो, सेवा-समाप्ति, सेवा-निवृत्ति

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

आदि की तिथि तक अनुमन्य होगा।

इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की देय धनराशि को निकटतम एक रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात 50 पैसे और उससे अधिक को उच्चतर रूपये पर पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम की राशि को छोड दिया जायेगा।

इन आदेशों द्वारा स्वीकृत दरों पर मंहगाई भत्ते की दिनांक 01 जनवरी, 2017 से दिनांक 31 जुलाई, 2017 तक की देय अवशेष धनराशि अधिकारी/कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में, अवशेष धनराशि पर देय आयकर एवं सरचार्ज की कटौती की सुविधा के अधीन जमा की जायेगी और इस प्रकार जमा धनराशि को भविष्य निधि खाते में दिनांक 01 अगस्त, 2017 से जमा माना जायेगा और इस तिथि से उक्त धनराशि पर ब्याज भविष्य निधि पर लागू दर से देय होगा इस प्रकार भविष्य निधि खाते में जमा की गई अवशेष धनराशि दिनांक 31 जनवरी, 2018 तक संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी और इसे उन मामलों को छोडकर जिनमें भविष्य निधि नियमों के अंतर्गत अन्तिम प्रत्याहरण (Final Withdrawal) देय हो जाय, उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा। इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की बढी हुई धनराशि का भुगतान दिनांक 01 अगस्त, 2017 (माह अगस्त, 2017 का भुगतान दिनांक 01 सितम्बर, 2017 को देय) से नकद किया जायेगा। ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनका भविष्य निधि खाता न खुला हो, उनको देय अवशेष की धनराशि को उनके पी0पी0एफ0 खाते में जमा किया जायेगा अथवा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी0) के रूप में दिया जायेगा परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो वह उसे नकद दी जायेगी।

राष्ट्रीय पेंशन योजना (N.P.S) से आच्छादित कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते के एरियर की राशि के दस प्रतिशत के बराबर राशि कर्मचारियों के टियर-1 पेंशन खाते में जमा की जायेगी तथा राज्य सरकार/नियोक्ता द्वारा समतुल्य अंशदान टियर-1 पेंशन खाते में जमा किया जायेगा। एरियर की शेष 90 प्रतिशत राशि संबंधित कर्मचारियों को नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी0) के रूप में दी जायेगी अथवा उनके पी0पी0एफ0 में जमा किया जायेगा।

महंगाई भत्ते की सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जाने वाली अवशेष धनराशि से संबंधित बिल/शेड्यूल/चालान पर शासनादेश संख्या-सा-4-12/दस-97-500(1)/97, दिनांक 07-10-1997 में निहित आदेशानुसार निर्धारित मोहर लगायी जानी चाहिए।

जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त हो गई हो अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर दिनांक 01 जनवरी, 2017 से शासनादेश निर्गत होने की तिथि तक सेवानिवृत्त हो गये हों अथवा

1 यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

06 माह के अन्दर सेवानिवृत्त होने वाले हो, उनको देय महंगाई भत्ते के बकाये की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

भवदीय,

अजय अग्रवाल

सचिव।

संख्या-4/2017/वे0आ0-1-466(1)/दस-2017, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-1 एवं 2 तथा (आडिट)-1 एवं 2 उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(2) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

(3) समस्त मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

(4) वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (व्यय विभाग) कमरा नं0-261, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली-110001

(5) प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय लखनऊ ।

(6) प्रमुख सचिव, विधान सभा/परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

(7) महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

(8) रीजनल प्राविडेंट फण्ड कमिश्नर, कानपुर।

(9) अपर निदेशक, कोषागार शिविर कार्यालय, नवीन कोषागार भवन (प्रथम तल) कचहरी रोड, इलाहाबाद।

(10) निदेशक, पंचायती राज (लेखा) इन्दिरा भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (90 अतिरिक्त प्रतियो सहित जो समस्त वित्तीय परार्मशदाता, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश को भेजी जायेगी)।

(11) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(12) निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

(13) शिक्षा अनुभाग-3,5,6,8 और 11, उच्च शिक्षा अनुभाग-2 व 4, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 व 2, नगर विकास अनुभाग-1 तथा पंचायती राज अनुभाग-1, सावर्जनिक उदयम अनुभाग-1 व 2 (अतिरिक्त प्रतियों सहित)

(14) इरला चेक अनुभाग/इरला चेक (वेतन पर्ची प्रकोष्ठ)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जा। ७५

संख्या-5/2017/वे0आ0-1-467/दस-2017-8(एम)/2016

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

(2) वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविघालय, उत्तर प्रदेश।

(3) शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा/शिक्षा निदेशक (बेसिक/माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ।

(4) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश कानपुर।

(5) निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, 8वॉ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

(6) समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश।

(7) निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 **लखनऊ: दिनांक: 13 जुलाई, 2017**

विषय- राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के ऐसे कर्मचारियों, जिनके द्वारा वेतन समिति, उ0प्र0 (2008) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना का चयन नही किया गया है अथवा जिनके वेतनमान दिनांक 01-01-2006 से पुनरीक्षित नही हुए है को महंगाई भत्ते का दिनांक 01-07-2016 एवं 01-01-2017 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान।

पठित निम्नलिखित

(1) शासनादेश संख्या-05/2016/वे0आ0-1-430(ए)/दस-2016-42(एम)/2008, दिनांक 13 जून, 2016

(2) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन-संख्या-1(3)/2008-ई-II(बी), दिनांक 07 अप्रैल, 2017

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-05/2016-वे0आ0-1-430(ए)/दस-2016-42(एम)/2008, दिनांक 13 जून, 2016 के क्रम में राज्यपाल महोदय प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों तथा यू0जी0सी0 वेतनमानों में कार्यरत ऐसे पदधारकों, जिनके द्वारा वेतन समिति उ0प्र0 (2008) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना लागू नही है अथवा जिनके वेतनमान दिनांक 01-01-2006 से पुनरीक्षित नही हुए है को संशोधित दर पर महंगाई भत्ते का दिनांक 01 जुलाई, 2016 एवं दिनांक 01 जनवरी, 2017 से निम्नानुसार भुगतान की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है -

तिथि जब से देय है	महंगाई भत्ते की मासिक दर
01-07-2016	वेतन तथा महंगाई वेतन के योग का 256 प्रतिशत
01-01-2017	वेतन तथा महंगाई वेतन के योग का 264 प्रतिशत

2- इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के संबंध में शासनादेश संख्या-वे0आ0-1-1599/दस-42(एम)/97, दिनांक 23 नवम्बर, 1998 के प्रस्तर-3 एवं 5 में उल्लिखित प्राविधान यथावत लागू रहेगें।

महंगाई भत्ते को एक तरह का विशिष्ट घटक ही माना जायेगा तथा वित्तीय नियम-9(21) के अंतर्गत वेतन नही माना जायेगा।

- इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ता उन कर्मचारियों/शिक्षकों को भी, जो प्रभावी तिथि को सेवारत थे किन्तु इस शासनादेश के जारी होने के पूर्व जिनकी सेवायें चाहे जिन कारणों से यथा अनुशासनिक कारणों से या त्याग-पत्र, सेवा-निवृत्त, मृत्यु या सेवा-मुक्त करने या स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण समाप्त हो गयी हो, सेवा-समाप्ति, सेवा-निवृत्ति की तिथि तक अनुमन्य होगा।

इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की देय धनराशि को निकटतम एक रूपये में पूर्णाकित किया जायेगा अर्थात 50 पैसे और उससे अधिक को उच्चतर रूपये पर पूर्णाकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम की राशि को छोड दिया जायेगा।

- इन आदेशों द्वारा स्वीकृत दरों पर महंगाई भत्ते की दिनांक 01 जुलाई, 2016 से दिनांक 31 जुलाई, 2017 तक की देय अवशेष धनराशि अधिकारी/कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में, अवशेष धनराशि पर देय आयकर एवं सरचार्ज की कटौती की सुविधा के अधीन जमा की जायेगी और इस प्रकार जमा धनराशि को भविष्य निधि खाते में दिनांक 01 अगस्त, 2017 से जमा माना जायेगा और इस तिथि से उक्त धनराशि पर ब्याज

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

भविष्य निधि पर लागू दर से देय होगा। इस प्रकार भविष्य निधि खाते में जमा की गई अवशेष धनराशि दिनांक 31 जनवरी, 2018 तक संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी और इसे उन मामलों को छोडकर जिनमें भविष्य निधि नियमों के अंतर्गत अन्तिम प्रत्याहरण (Final Withdrawal) देय हो जाय, उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा। इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की बढी हुई धनराशि का भुगतान दिनांक 01 अगस्त, 2017 (माह अगस्त, 2017 का भुगतान दिनांक 01 सितम्बर, 2017 को देय) से नकद किया जायेगा। ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनका भविष्य निधि खाता न खुला हो, उनको देय अवशेष की धनराशि को उनके पी0पी0एफ0 खाते में जमा किया जायेगा अथवा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी0) के रूप में दिया जायेगा परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो वह उसे नकद दी जायेगी।

राष्ट्रीय पेंशन योजना (N.P.S) से आच्छादित कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते के एरियर की राशि के दस प्रतिशत के बराबर राशि कर्मचारियों के टियर-1 पेंशन खाते में जमा की जायेगी तथा राज्य सरकार/नियोक्ता द्वारा समतुल्य अंशदान टियर-1 पेंशन खाते में जमा किया जायेगा। एरियर की शेष 90 प्रतिशत राशि संबंधित कर्मचारियों को नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी0) के रूप में दी जायेगी अथवा उनके पी0पी0एफ0 में जमा किया जायेगा।

महंगाई भत्ते की सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जाने वाली अवशेष धनराशि से संबंधित बिल/शेड्यूल/चालान पर शासनादेश संख्या-सा-4-12/दस-97-500(1)/97, दिनांक 07-10-1997 में निहित आदेशानुसार निर्धारित मोहर लगायी जानी चाहिए।

जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त हो गई हो अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर दिनांक 01 जुलाई, 2016 से शासनादेश निर्गत होने की तिथि तक सेवानिवृत्त हो गये हों अथवा 06 माह के अन्दर सेवानिवृत्त होने वाले हो, उनको देय महंगाई भत्ते के बकाये की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

भवदीय,
अजय अग्रवाल
सचिव।

संख्या-5/2017/वे0आ0-1-467(1)/दस-2017, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-1 एवं 2 तथा (आडिट)-1 एवं 2 उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1
संख्या-2/2017/वे0आ0-1-279/दस-17-6(एम)/2016
लखनऊ: दिनांक: 11 जुलाई, 2017

इस अनुभाग के पत्र संख्या-8/2016-वे0आ0-1-1006/दस-16-28(एम)/2007 दिनांक 24 नवम्बर, 2016 के क्रम में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के कार्यालय-ज्ञापन संख्या-1/3/2017-ई-II(बी), दिनांक 30 मार्च, 2017 एवं कार्यालय-ज्ञापन संख्या-1(3)/2008-ई-II(बी) दिनांक 07 अप्रैल, 2017 की (हिन्दी/अंग्रेजी) तथा कार्यालय ज्ञापन संख्या-1(3)/2008-ई-II(बी) दिनांक 07 अप्रैल, 2017 की हिन्दी की प्रति निम्नलिखित को इस आशय से पृष्ठांकित की जा रही है कि कृपया प्रदेश में तैनात अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को उक्त कार्यालय ज्ञापन की व्यवस्था के अनुसार दिनांक 01 जनवरी, 2017 से महंगाई भत्ते का भुगतान सुनिश्चित करने का कष्ट करे:-

1- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल।
2- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
5- इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

अजय अग्रवाल
सचिव।

संख्या-2/2017-वे0आ0-1-279(1)/दस-2017, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-2 उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- सचिवालय में तैनात अखिल भारतीय सेवा के समस्त अधिकारी।
3- प्रभारी, निकनेट सेल, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय,लखनऊ।
4- वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
5- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,
अजय अग्रवाल
सचिव।

5

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।